



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 32-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 11, 2020 (SRAVANA 20, 1942 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2020

संख्या 89/REG-253/Vol-IV.— विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) में निहित प्रावधानों की अनुपालना में दिनांक 15.03.1984 से 13.08.1998 तक यथा लागू तथा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10) की धारा 56 (vi) में निहित प्रावधानों के साथ पठित, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश की तिथि से तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की अधिसूचना संख्या 67/आरईजी-171/एल दिनांक 18.06.1990 के तहत जारी निदेशक (चौकसी तथा सुरक्षा), ह.रा.बि.बोर्ड, पंचकूला को वही वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करते हैं :-

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-79 के खण्ड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में अन्य सभी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड इसके द्वारा 1986 के दौरान पुन-मुद्रित "शक्तियों के प्रत्यायोजन" की पुस्तिका में पुनः परिकल्पित क्रम संख्या 60, 61(ए), 61, 62, 63, 66, 67(ए), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 84 तथा 101 के अधीन अन्य विभागाध्यक्षी द्वारा प्रयोग की जा रही वही वित्तीय शक्तियां निदेशक (चौकसी तथा सुरक्षा), हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पंचकूला को प्रत्यायोजित करता है:-

ये संशोधन 18.06.1990 अर्थात् कार्यालय आदेश जारी होने की वास्तविक तिथि से लागू माने जाएंगे।

चण्डीगढ़:
दिनांक 11 मई, 2020.

टी० सी० गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**POWER DEPARTMENT****Notification**

The 11th May, 2020

No. 89/REG-253/Vol-IV.— In compliance with provisions contained in section 79(c) of Electricity Supply Act, 1948 as applicable w.e.f. 15.03.1984 to 13.08.1998 and read with provisions contained in section 56 (vi) of Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No. 10 of 1998), the Governor of Haryana is pleased to delegates same financial powers to the Director (Vigilance and Security) HSEB, Panchkula issued by erstwhile HSEB *vide* notification No. 67/REG-171 dated 18.06.1990 w.e.f date of office order:-

In exercise of powers conferred under Clause (c) of Section-79 of the Electricity (Supply) Act, 1948 and all other enabling powers in this behalf, the Haryana State Electricity Board hereby delegates same financial powers to the Director (Vigilance and Security) HSEB, Panchkula as are being exercised by other Head of Departments under Sr. No. 60, 60(a), 61, 62, 63, 66, 67(a), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 84 and 101 as envisaged in the Book-let of “Delegation of Power” re-printed during 1986.

These amendments are deemed to have come into force with effect from 18.06.1990 i.e. actual date of issuance of office order.

Chandigarh:
The 11th May, 2020.

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.